न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2254–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–07–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा जिला गुना के प्रकरण कमांक 13/अपील/2013–14.

.....

1–अजमेरी खां पुत्र गोर खां पोत्र अलफ खां
निवासी मानकचोक तहसील कुम्भराज जिला गुना
2–छोटे खां पुत्र गोर खां पोत्र अलफ खां
निवासी मानकचोक तहसील कुम्भराज जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–सलीम खां उर्फ मुन्ने खां पुत्र रूमाल खां पोत्र मोहर खां
निवासी अस्पताल के पास राधोगढ
जिला गुना म0प्र0
2–मुन्ना खां पुत्र भंवर खां पोत्र मोहर खां
निवासी प्रताप छात्रावास के पास पोस्ट ऑफिस रोड गुना
जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री ए0के0सिंघल, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 3/12/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी चांचौडा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–3–1999 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम

अपील दिनांक 16–9–2014 को लगभग 15 वर्ष से भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। चूँकि प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 13/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 10–7–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं कर संक्षिप्त में आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध 15 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कोई कारण नहीं बतलाया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय ने आर.पी.नं. 36/2015 में आदेश दिनांक 8–7–15 से यह तय किया है कि लिमिटेशन निकल जाने के बाद जो अधिकार सामने वाली पार्टी को प्राप्त हो जाता है उसको सामान्य तौर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है और अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाना चाहिये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और ऐसे आदेश में समय सीमा का बन्धन लागू नहीं होता है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जबकि वे प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार हैं, ऐसी स्थिति में जानकारी के दिनांक से समय

सीमा लागू होगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है । तहसीलदार के आदेश को भी देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी के वारिसानों को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है और न ही उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी चांचौडा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–7–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर